न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 14 / 2022

प्रकरण दर्ज तिथि :– 01.02.2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 27

1. उदाराम पुत्र श्री उमा, उम–वयस्क, जाति–मेगवाल,
2. ईमली पत्नि श्री सुगना, पुत्रवधु श्री नारायण, उम–वयस्क, जाति–मेगवाल,
3. अशोक पुत्र श्री सुगना, पौत्र श्री नारायण, उम–वयस्क, जाति–मेगवाल,
4. आशा पुत्री श्री सुगना पौत्री श्री नारायण, उम–वयस्क, जाति–मेगवाल,

निवासीगण–करमावास, तहसील–रायपुर, जिला पाली (राज)

वादीगण

बनाम

1. कालुराम पुत्र श्री मिसरू, उम्र–व्यस्क,
2. बींजाराम पुत्र श्री मिसरू, उम्र–व्यस्क,
3. ताराराम पुत्र श्री बचनाराम, उम्र–वसक,
4. निहाल पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–वयस्क,
5. अजय पुत्र श्री बाबुलाल, उम्र–वयस्क,
6. मैना पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र–वयस्क, जाति–मेगवाल, निवासीगण–करमावास, तहसील–रायपुर, जिला पाली (राज)
7. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर जिला पाली

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण

2 श्री मनीष साहू एवं श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 02.08.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोट किराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत् 2074–2077 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 138 खसरा सं. 25 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 26 रक्बा 1.1412 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 86 रक्बा 1.0198 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2070–2073, 20 –20 वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें ।उपरोक्त खातेदारी जमीन मे वादी का हक व हिस्सा आता है, तथा वादी सं. 1 का तथा वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है वादी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकर्ड में वादी सं. 1 का तथा वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता का नाम सही दर्ज है परन्तु वादी सं. 1 के पिता का नाम एवं वादी सं. 2 से लगायत 4 के दादा का नाम सही दर्ज नही है। राजस्व रेकर्ड मे उदाराम पुत्र नारायण तथा सुगना पुत्र उमा दर्ज रेकर्ड है जबकि वादी एवं वादी के पिता/दादा का सही नाम उदाराम पुत्र उमा तथा सुगना पुत्र नारायण है। उक्त भुमि मोती पुत्र किशना के नाम दर्ज थी उनके फौतेदगी

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

नामान्तरण भरवाते समय भुलवश वादीगण के पिता/दादा/ ससुर का नाम गलत इन्द्राज हो गया। यह नाम वादी के राजस्व अधिकारियों के द्वारा नामान्तरण करते समय आसपडोस के व्यक्तियों द्वारा दी गई गलत सूचना से गलत नाम दर्ज कर दिया गया है, वादी सं. 1 के पिता का सही नाम उमा तथा वादीगण सं. 2 से लगायत 4 के दादा का सही नाम नारायण है परन्तु नामान्तरण भरते समय भुलवश वादी सं. 1 के पिता के नाम के स्थान पर वादीगण सं. 2 से लगायत 4 के दादा का नाम तथा वादीगण सं. 2 से 4 के दादा के नाम के स्थान पर वादी सं. 1 के पिता का नाम दर्ज हो गया। जो गलत है जिसे सुधारा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। विवादित भुमि की जमाबन्दी सवत् 20 –20 मे मोती पुत्र किशना के नाम दर्ज था। मोती पुत्र किशना के फौत होने पर निम्न वारिशान थे :–

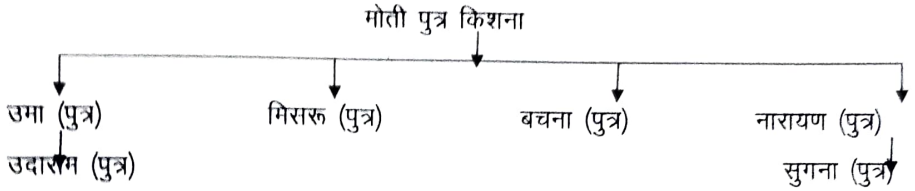

उक्त वंशावली अनुसार नामान्तरण भरा जाना था। सुगना पुत्र नारायण के नामान्तरण किया जाना था परन्तु सुगना पुत्र उदाराम के नाम से नामान्तरण भरा गया एवं उदाराम पुत्र उमा के नाम नामान्तरण किया जाना था परन्तु उदाराम पुत्र नारायण के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया जो भुलवश किया गया इसलिए इसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी मे दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा दर्ज करवाने हेतु उक्त वाद पेश है। वादीगण सं. 2 से 4 दिनांक 13–12–2021 को अपने पिता सुगना के फौत होने पर उनका नामान्तरण भरवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जाने एवं उनके द्वारा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि विवादित भुमि की जमाबंदी मे वादी सं. 1 के पिता का नाम तथा वादीगण सं. 2 से 4 के दादा/ससुर का नाम गलत दर्ज रेकर्ड है तब वादीगण ने पटवारी हल्का महोदय से सम्पर्क किया, तथा नाम संसोधन करवाने का निवेदन किया, तो उन्होने न्यायलय कि शरण में जाकर वहा वाद पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर एवं वाद पत्र के अलावा अन्य कोई साधन नहीं होने का बताने पर यह वाद श्रीमान के न्यायलय में वाद पत्र पेश किया जा रहा है, अतः वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा ससोधन करवाने का अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है । वादीगण अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करते आ रहे है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादीगण के पिता/दादा/सुसर का नाम गलत इन्द्राज रहता है तो वादीगण को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं ने पायेगा अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही करवा पायेगें जिससें वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादीगण के पास न्यायलय की शरण मे जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा करवाकर अपने नाम की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। विनायदावा वादीगण सं. 2 से 4 दिनांक 13–12–2021 को अपने पिता सुगना के फौत होने पर उनका नामान्तरण भरवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जाने पर यह ज्ञात हुआ कि विवादित भुमि की जमाबंदी मे

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

वादी के पिता का नाम गलत दर्ज रेकर्ड कि जानकारी होने व पटवारी महोदय से सम्पर्क करने पर पटवारी महोदय द्वारा राजस्व रेकर्ड मे सुधारा करवाने हेतु न्यायलय मे जाने के कारण वमुकाम सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, तहसील रायपुर, जिला पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादीगण 1 से 6 को मोती पुत्र श्री किशना जी के वारिश होने से एवं उपरोक्त वादपत्र के पैरा. सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात मे संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी सं. 7 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं। वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या–1 में वर्णित उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोट किराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत् 2074–2077 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 138 खसरा सं. 25 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 26 रक्बा 1.1412 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 86 रक्बा 1.0198 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, के राजस्व रेकर्ड में वादी सं 1 का तथा वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता का नाम जरिये मोती पुत्र किशना जी के फौतेदगी नामान्तरण से सहवण व गलत सुचना से भरा गया गलत नाम दर्ज कर दिया था, इसलिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा संसोधन करवाने का अधिकारी है। अतः श्रीमान वादग्रस्त आराजी मे वादी सं. 1 का तथा वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता का नाम जरिये मोती पुत्र किशना जी के फौतेदगी नामान्तरण से सहवण व गलत सुचना से भरा गया गलत नाम सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा का आदेश करवाकर वादी सं. 1 एवं वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता को सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर वकील श्री भूपेन्द्र सैन एवं श्री मनीष साहू द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 एवं 06 की ओर से जबावदावा, राजीनामा व शपथपत्र प्रस्तुत किया जो शा. मि. किया गया हैं जिसमें मौजा सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोट किराणा, तहसील रायपुर की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत् 2074–2077 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 138 खसरा सं. 25 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 26 रक्बा 1.1412 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 86 रक्बा 1.0198 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, के राजस्व रेकर्ड में वादी सं. 1 का तथा वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता का नाम जरिये मोती पुत्र किशना जी के फौतेदगी नामान्तरण से सहवण व गलत सुचना से भरा गया गलत नाम दर्ज कर दिया था, इसलिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा किया जाता हैं हमें कोई उजर एतराज नहीं हैं।

उभय पक्षीय वकुलाय से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की हैं। बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर मौजा सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोट किराणा, तहसील रायपुर की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत् 2074–2077 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 138 खसरा सं. 25 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सं. 26 रक्बा 1.1412 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 86 रक्बा 1.0198 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, के राजस्व रेकर्ड में वादी सं. 1 का तथा वादी सं. 2 से लगायत 4 के पिता का नाम जरिये मोती पुत्र किशना जी के फौतेदगी नामान्तरण से सहवण व गलत सुचना से भरा गया गलत नाम दर्ज कर दिया था, इसलिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर कमशः सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोट किराणा, तहसील रायपुर की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत् 2074–2077 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 138 खसरा सं. 25 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 26 रक्बा 1.1412 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 86 रक्बा 1.0198 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुगना पुत्र उमा, उदाराम पुत्र नारायण के स्थान पर कमशः सुगना पुत्र नारायण, उदाराम पुत्र उमा नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)